



मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
किसान भवन, 26 अरेरा हिल्स, भोपाल

ईमेल आईडी - niyaman.mpsamb@gmail.com

क्र/बोर्ड/नियमन/वि.अनु./HAFED/211/3944

भोपाल, दिनांक 22/11/2023

प्रति,

शाखा प्रबंधक

The Haryana State Co-operative Supply and Marketing Federation Limited (HAFED)

पंजीकृत कार्यालय - Corporate Office, Sector-5, Panchkula
Haryana

E-mail ID - hafed@hry.nic.in

विषय - मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी (एक से अधिक मंडी क्षेत्रों के लिये विशेष अनुज्ञप्ति) नियम-2009 (यथासंशोधित) के अधीन विशेष अनुज्ञप्ति के संबंध में।

संदर्भ - आपका आवेदन दिनांक 04/10/2023।

मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 की धारा 32-क के अधीन निर्मित नियम मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी (एक से अधिक मंडी क्षेत्रों के लिये विशेष अनुज्ञप्ति) नियम, 2009 (यथासंशोधित) के अधीन The Haryana State Co-operative Supply and Marketing Federation Limited (HAFED) को विशेष अनुज्ञप्ति क्रमांक/S.L./2020/17 दिनांक 13/05/2022 स्वीकृत की गई है।

2. संदर्भित आवेदन के माध्यम से उक्त स्वीकृत विशेष अनुज्ञप्ति में निम्न विनिर्दिष्ट मंडियों के क्षेत्रांतर्गत धान्य तथा दलहन के कारोबार करने हेतु अनुमति चाही गई है -

क्र	मंडी समिति का नाम	क्रय की जाने वाली कृषि उपज का समूह (नियम 2009 के नियम 6 अनुसार समूह)
1	विदिशा	धान्य तथा दलहन
2	औवेदुल्लागंज (मंडीदीप उपमंडी)	धान्य तथा दलहन
3	उज्जैन	धान्य तथा दलहन
4	देवास	धान्य तथा दलहन
5	भोपाल	धान्य तथा दलहन
6	सीहोर	धान्य तथा दलहन
7	बरेली	धान्य तथा दलहन
8	इंदौर	धान्य तथा दलहन

3. आवेदन पर विचारोपरांत अधिसूचित प्राधिकारी प्रबंध संचालक महोदय द्वारा The Haryana State Co-operative Supply and Marketing Federation Limited (HAFED) को नियम 2009 अंतर्गत नियम 10


के तहत स्वीकृत विशेष अनुज्ञप्ति क्रमांक/S.L./2022/17 दिनांक 13/05/2022 की वैधता अवधि में आगामी 4 वर्षों की वृद्धि करने की अनुमति प्रदान की गई है। विशेष अनुज्ञप्ति क्रमांक/S.L./2020/17 दिनांक 13/05/2022 में अनुमोदित क्रय केंद्रों की अद्यतन सूची (परिशिष्ट - 1) संलग्न है जोकि विशेष अनुज्ञप्ति क्रमांक/S.L./2020/17 दिनांक 13/05/2022 का भाग होगी। उक्त सभी क्रय केंद्रों को सम्मिलित कर अधिसूचित कृषि उपज की न्यूनतम क्रय मात्रा के संबंध में नियम 2009 की कंडिका 4(2) के प्रावधान लागू रहेंगे।

4. नियम 2009 के नियम 6 के अधीन प्रतिभूति स्वरूप बैंक गारंटी/एफडीआर जमा करना अनिवार्य होगा। कृषकों को कृषि उपज का नियत समयसीमा में पूर्ण भुगतान करना अनिवार्य होगा।
5. नियम 2009 के नियम 10 के अधीन प्रसुविधाओं का सृजन करना अनिवार्य होगा।
6. अधिनियम, नियम, उपविधि, के प्रावधानों तथा ई-अनुज्ञा पोर्टल पर कार्य करने के दिशा-निर्देशों का पालन किया जाना बंधनकारी होगा।

(प्रबंध संचालक महोदय के अनुमोदन एवं आदेशानुसार जारी)

संलग्न - उपरोक्तानुसार।





सहायक संचालक (नियमन)
म प्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्र/बोर्ड/नियमन/वि.अनु./HAFED/211/3945

भोपाल, दिनांक 22/11/2023

प्रतिलिपि:-

1. संयुक्त संचालक, म प्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय - _____ (म. प्र.) (समस्त) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु। अनुज्ञप्तिधारक से अधिनियम, नियम एवं उपविधियों का पूर्ण पालन सुनिश्चित करने का अनुरोध है। आपके स्तर से इस विषय की जानकारी संभाग की समस्त कृषि उपज मंडी समिति को दी जाएं।
2. सचिव कृषि उपज मंडी समिति _____ जिला _____, म. प्र. (समस्त) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. सहायक संचालक (आईटी शाखा), म प्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल। विशेष अनुज्ञप्तिधारी The Haryana State Co-operative Supply and Marketing Federation Limited (HAFED) को स्वीकृत विशेष अनुज्ञप्ति (अद्यतन) की ई-अनुज्ञा मॉड्यूल में आवश्यक प्रविष्टि की जाएं।



सहायक संचालक (नियमन)
म प्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

The Haryana State Co-operative Supply and Marketing Federation Limited (HAFED)

E-mail ID - hafed@hry.nic.in

विशेष अनुज्ञप्ति क्रमांक/S.L./2020/17 दिनांक 13/05/2022

अनु क्र.	अधिसूचित कृषि उपज का नाम जिसके कारबार हेतु विशेष अनुज्ञप्ति स्वीकृत/ नवीनीकृत की गई है।	विनिर्दिष्ट मंडी क्षेत्र का नाम, जिसमें कारबार हेतु अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है।	संबंधित मंडी समिति का नाम	विनिर्दिष्ट मंडी क्षेत्र के अधीन अनुमोदित क्रय केन्द्रों के नाम	कारोबार का स्थान, कार्यालय का पता	कार्यालय प्रमुख का नाम, पदनाम एवं पता
1	धान्य तथा दलहन	विदिशा	विदिशा	-	एचआईजी-35 फेस-1 वार्ड 85 श्री कृष्णापुरम होशंगाबाद रोड भोपाल	श्री योगेश सिंह शेखावत 9416312579
2	धान्य तथा दलहन	औबेदुल्लागंज (मंडीदीप उपमंडी)	औबेदुल्लागंज (मंडीदीप उपमंडी)	-	एचआईजी-35 फेस-1 वार्ड 85 श्री कृष्णापुरम होशंगाबाद रोड भोपाल	श्री योगेश सिंह शेखावत 9416312579
3	धान्य तथा दलहन	उज्जैन	उज्जैन	-	एचआईजी-35 फेस-1 वार्ड 85 श्री कृष्णापुरम होशंगाबाद रोड भोपाल	श्री योगेश सिंह शेखावत 9416312579
4	धान्य तथा दलहन	देवास	देवास	-	एचआईजी-35 फेस-1 वार्ड 85 श्री कृष्णापुरम होशंगाबाद रोड भोपाल	श्री योगेश सिंह शेखावत 9416312579




Handwritten signature/initials.

5	धान्य तथा दलहन	भोपाल	भोपाल	-	एचआईजी-35 फेस-1 वार्ड 85 श्री कृष्णापुरम होशंगाबाद रोड भोपाल	श्री योगेश सिंह शेखावत 9416312579
6	धान्य तथा दलहन	सीहोर	सीहोर	-	एचआईजी-35 फेस-1 वार्ड 85 श्री कृष्णापुरम होशंगाबाद रोड भोपाल	श्री योगेश सिंह शेखावत 9416312579
7	धान्य तथा दलहन	बरेली	बरेली	-	एचआईजी-35 फेस-1 वार्ड 85 श्री कृष्णापुरम होशंगाबाद रोड भोपाल	श्री योगेश सिंह शेखावत 9416312579
8	धान्य तथा दलहन	इंदौर	इंदौर	-	एचआईजी-35 फेस-1 वार्ड 85 श्री कृष्णापुरम होशंगाबाद रोड भोपाल	श्री योगेश सिंह शेखावत 9416312579

(प्रबंध संचालक द्वारा अनुमोदित एवं आदेशानुसार)




 सहायक संचालक (नियमन)
 मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
 भोपाल